# न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ जिला अलवर

**पीठासीन अधिकारी : गोपाल सैनी (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 62/2026
सीआईएस नंबर 57/2026

1. लखविन्दर सिंह पुत्र गज्जन सिंह उम्र 32 साल निवासी ग्राम नसवारी पुलिस थाना गोविन्दगढ जिला अलवर (राज.)

..... प्रार्थी–अभियुक्त

**बनाम**

**1.** राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक लक्ष्मणगढ जिला अलवर

जमानत आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस प्रथम सूचना रिपोट संख्या 50/2025–26 आबकारी थाना लक्ष्मणगढ, अपराध अन्तर्गत धारा 16/54,54क राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थिति :–
1. श्री नितिन जैन, अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से
2. श्री अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से

**–आदेश–** **दिनांक 16.03.2026**

1. इस आदेश के माध्यम से प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 बीएनएसएस के तहत प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थनापत्र की नकल अभियोजन को दिलायी गयी। बहस प्रार्थनापत्र जमानत सुनी गयी।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 25.02.2026 को प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल लक्ष्मणगढ मय जाप्ता ने दौराने रेड गश्त लक्ष्मणगढ–कठूमर रोड़ से लीली की तरफ जाने वाले ग्रेवल सड़क पर प्रार्थी/अभियुक्त के आधिपत्यशुदा उसके स्वामित्व की मोटरसाईकिल नं. अरजे 02 एनएस 1185 पर उसके अनन्य चैतन्य कब्जे से एक प्लास्टिक जरीकेन में 55 लीटर अवैध हथकढ शराब नियमानुसार जप्त की गयी तथा अभियुक्त को मौके पर गिरफतार किया गया ..... इत्यादि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या

50/2025–26 दर्ज कर प्रकरण अनुसंधानाधीन है।

3. दौराने बहस प्रार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रार्थी–अभियुक्त को इस प्रकरण में गलत रूप से झूठा फंसाया गया है, उसके कब्जे से कोई हथकढ शराब की बरामदगी नहीं की गयी है तथा प्रार्थी–अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, वह निर्दोष है। पुलिस ने कागजात में गलत रूप से बरामदगी दर्शाकर प्रार्थी को झूठा फसाया है तथा न ही ऐसी कोई स्वतंत्र साक्ष्य है कि जिससे प्रथम दृष्टया केस साबित होता हो। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 25.02.2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है, प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है, कोई बरामदगी या अनुसंधान शेष नहीं है। प्रार्थी गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है, जेल में रहने से उसका व परिवार का जीवन बर्बाद हो रहा है, प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया।

4. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुये अभियुक्त का आदतन अपराधी होना बताते हुए जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया ।

5. सुना जाकर केस डायरी का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त के कब्जे से उसके स्वामित्व की आधिपत्यशुदा मोटरसाईकिल नं. अरजे 02 एनएस 1185 पर उसके अनन्य चैतन्य कब्जे से एक प्लास्टिक जरीकेन में 55 लीटर अवैध हथकढ शराब नियमानुसार जप्त किये जाने के धारा 16/54, 54 क एक्साईज एक्ट के अपराध का अभियोग है, जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा अभियुक्त से प्रकरण में कोई बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं है एवं साथ ही केस डायरी पर प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व आपराधिक रिकार्ड में यद्यपि 5 प्रकरण इसी प्रकार के अपराधों से संबंधित होना अंकित किया है, तथापि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि या सजायाबी रिकॉर्ड केस डायरी पर मौजूद नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रार्थी/अभियुक्त करीब 20 दिवस से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों, अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त लखविन्दर सिंह पुत्र गज्जन सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से 50 हजार रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के सन्तोषप्रद एवं विचारण न्यायालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने बाबत् प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दिये जावें तो उसे इस मामले में जमानत पर रिहा कर दिया जावे। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे।

**(गोपाल सैनी)**

7. आदेश आज दिनांक 16.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(गोपाल सैनी)**